-{ PAGE }-{ FILENAME }

RR No. 3217
5-11-2012

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 1(1)साप्र/2/2012 जयपुर, दिनांक 31-10-12

–: आदेश :–

श्री राजेश्वर सिंह, आई.ए.एस. शासन सचिव लघु उद्योग विभाग, जयपुर जिनकी सेवानिवृति दिनांक 31.7.2024 है को राजकीय आवास संख्या 20–एफ हीराबाग आवंटित है। श्री राजेश्वर सिंह का निजी आवास होने के परिपेक्ष्य में साधारण किराये के तीनगुणा भुगतान पर अनुमति प्रदत्त की हुई है। श्री राजेश्वर सिंह के प्रकरण में राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.10.2012 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या 20–एफ हीराबाग के स्थान पर राजकीय आवास संख्या I/6 (रिक्त होने की प्रत्याशा में) गांधीनगर, आवंटन किया गया था। उक्त आवास रिक्त उपलब्ध नहीं होने व मांग के परिपेक्ष्य में I/6, गांधीनगर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या 20–सी हीराबाग, जयपुर का नियमानुसार साधारण किराये के तीनगुणा किराये भुगतान पर निम्न शर्तो के आधार पर एतदद्वारा आवंटन किया जाता है :–

OIC (Allotment)
5-11-12

शर्ते:–

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. उप सचिव (वी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. संख्या एफ12004897 दिनांक 5.10.2012 के कम में।
4. विशेषाधिकारी, कार्मिक (क–1) विभाग।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
8. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर ।

9. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 / जन स्वा0अभि0वि0 / जयपुर वि0वि0निगम लि0, हीराबाग / गांधीनगर जयपुर।
10. **सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, हीराबाग / गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।**
11. संबंधित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. श्री राजेश्वर सिंह, आई.ए.एस. शासन सचिव, लघु उद्योग विभाग, जयपुर।
13. श्री राजेश्वर सिंह, आई.ए.एस. निवासी 20–एफ, हीराबाग, जयपुर।
14. श्री ललित पी. कोठारी, सेवानिवृत्ति आई.ए.एस. निवासी 1/6 गांधीनगर, जयपुर।
15. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
18. रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव